**पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ**

**प्रेस विज्ञप्ति**

**विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 05 अभियुक्त तथा एन0बी0डब्लू में कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार।**

**दिनांक-02.04.2024**

**दिनांक 01/02.04.2024 को थाना अलीगंज 01, बन्थरा 01, गोमतीनगर विस्तार 01, हजरतगंज 01, आलमबाग 01 अभियुक्त तथा एन0बी0डब्लू में थाना हजरतगंज 01, नगराम 01 गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 05 अभियुक्त तथा एन0बी0डब्लू में कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार।**

**डी0सी0पी0 उत्तरी**

**अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।**

**थाना गुडम्बा-** दिनांक 01.04.2024 को एस0आई0 श्री अभिषेक पाण्डेय थाना गुडम्बा द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01- सोनू कुमार पुत्र केशन उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम देबरिया थाना अटरिया जिला सीतापुर को सर्वजानिक स्थान रिंग रोड कटिंग सर्विस लेन फ्लाई ओबर के नीचे चौकी टेढी पुलिया थाना गुडम्बा लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 12 शीशी 2.4 लीटर अवैध देशी शराब बरामद कर थाना गुडम्बा पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

**धारा 3(1) उ0 प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की कार्यवाही**

**थाना गाजीपुर-** दिनांक-01.03.2024 को थाना गाजीपुर द्वारा बताया गया कि प्रभारी निरीक्षक श्री विकास राय द्वारा दौराने चेकिंग व आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर अभियुक्त 01-अली मिर्जा दरवेश पुत्र दरवेश अली जाफरी निवासी बैमण्डी सलाउद्दीन स्कूल के पास शांतिनगर रोड 140 पिरीनी पाडा थाणे महाराष्ट्र उम्र 42 वर्ष, 02-जान हुसैन पुत्र हुसैन सैय्यद निवासी अम्बेवली पाटिल नगर महात्मा फूले जिला टाना महाराष्ट्र उम्र 43 वर्ष के विरुद्ध थाना गाजीपुर पर धारा 3(1) उ0 प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की कार्यवाही की गई। गैंगलीडर अली मिर्जा दरवेश उपरोक्त का संगठित अपराधिक गिरोह है जिसका लीडर स्वंय है जो अपने व अपने गैंग के सदस्य के आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ के लिए लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न जैसे अपराध कारित करते हैं। उक्त अभियुक्त दबंग, मनबढ़ व गुण्डा दुस्साहसिक प्रवृति का व्यक्ति है।

**डी0सी0पी0 दक्षिणी**

**अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।**

**थाना गोसाईगंज-** दिनांक 01.04.2024 को एस0आई0 श्री मनिन्दर सिंह थाना गोसाईगंज द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01-सोहनलाल पुत्र हेमराज उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम भोला का पुरवा मजरा आदमपुर नौबस्ता थाना गोसाईगंज लखनऊ को सर्वजानिक स्थान भोला का पुरवा अण्डर पास थाना गोसाईगंज लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना गोसाईगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

**110 (जी) सीआरपीसी की कार्यवाही**

**थाना मोहनलालगंज-** दिनांक-01.04.2024 को थाना मोहनलालगंज द्वारा बताया गया कि प्रभारी निरीक्षक श्री आलोक राव द्वारा दौराने चेकिंग व आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर अभियुक्त 1. शनि पुत्र स्व0 अरुण निवासी ग्राम इन्द्रजीत खेड़ा थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र करीब 36 वर्ष, 2. अनिल कंजड़ पुत्र चन्द्रिका निवासी ग्राम इन्द्रजीत खेड़ा थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र करीब 39 वर्ष, 3. इन्दल पुत्र रामअधीन निवासी ग्राम इन्द्रजीत खेड़ा थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र 40 वर्ष, 4. दीपक कुमार पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम इन्द्रजीत खेड़ा थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र 30 वर्ष, 5. राजेश कुमार पुत्र स्व0 प्रेम प्रकाश निवासी ग्राम इन्द्रजीत खेड़ा थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र करीब 36 वर्ष, 6. प्रमोद उर्फ गोलू पुत्र स्व0 पप्पू निवासी ग्राम इन्द्रजीत खेड़ा थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र करीब 40 वर्ष, सभी अभियुक्तगण जोकि दबंग, मनबढ़ व दुस्साहसिक प्रवृति का व्यक्ति हैं जिनके द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में अराजकता फैलाने की आशंका व शान्ति व्यवस्था छिन्न-भिन्न करने की संभावना विद्यामान है। कारण आम जनता में भय व्याप्त वाही की गई।

**भा0द0वि0**

**थाना पीजीआई**:-आज दिनांक-02.04.2024 को थाना पीजीआई द्वारा बताया गया कि आगन्तुक श्री रमेश विजय पाल निवासी-5-714संस्कृति एल्डिको कालोनी थाना पीजीआई लखनऊ ने सूचना दिया कि कल दिनांक-01.04.2024 को समय करीब 01.30 बजे दोपहर को उनका पुत्र सुशान्त पाल उम्र करीब 46 वर्ष अपनी कार क्वीड यूपी 32 के ई 0129 से घर से निकला था। रात को उसका पुत्र वापस नहीं आया। आज दिनांक-02.04.2024 को चौकीदार द्वारा बताया गया कि उसका पुत्र सुशान्त पाल उपरोक्त कार में संस्कृति गेट नं0-4 के सामने मृत पड़ा हुआ है। उनका पुत्र नशे का आदी था, नशे की आदत की वजह से सन् 2022 को मृतक के पत्नी व बच्चे इनको छोड़कर चले गये थे। मृतक कोई काम नही करता था तथा नशे के कारण घर पर भी मार-पीट करता था। **इस सूचना पर थाना पीजीआई द्वारा म0उ0नि0 श्वेता सिंह मो0-9161681787 द्वारा पंचायातनामा की कार्यवाही की जा रही है।**

**थाना पीजीआई**:- आज दिनांक-02.04.2024 को थाना पीजीआई द्वारा बताया गया कि वादी श्री अशोक कुमार पुत्र श्री सुबू साह निवासी हैवतमऊ मवैया जगरनाथ पुरी कालोनी निकट पाल आटा चक्की रायबरेली रोड लखनऊ ने सूचना दिया कि वादी होली की छुट्टी पर अपने पैतृक गांव राम कृष्णानगर थाना रामकृष्णानगर पटना विहार के लिये 23.03.2024 को वाया ट्रेन गया था जब वादी वापस अपने आवास लखनऊ 29.03.2024 की सुबह 08.30 बजे पहुंचा तब वादी ने अपने आवास के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा पाया और घर के सारे कमरे का ताला टूटा हुआ पाया तथा सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। वादी के उक्त घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा घर में घुसकर रखे सोने-चांदी के कीमती जेवरात व नकद 65000 रुपये को चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0-192/2024 धारा-457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**